[illegible]	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

[illegible] यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के [illegible] पुत्र बीरबल, माली निवासी चकछाबा तह0 गंगापुर [illegible] की ओर से श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट ने हमारे [illegible] किया गया। प्रार्थी के वकील को सुना गया। प्रार्थना [illegible] धारा 136 एल.आर.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया जावे। [illegible] गंगापुर सिटी को प्रार्थना पत्र की प्रति भिजवाकर [illegible] पत्र पर रिपोर्ट चाही जावे एवं अप्रार्थी की तलबी जरिए [illegible] की जाकर पत्रावली दिनांक 21.01.2021 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

21-1-2021 वकील वादी उप0। तलबी रिपोर्ट व तलबी अप्रार्थी की जाकर पत्रावली दि0 5-2-2021 को पेश हो। — 5/2/2021

5-2-2021 वकील प्रार्थी उप0। लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी उप0। वास्ते रिपोर्ट पत्रावली दि0 16-2-2021 को पेश हो।

16-2-2021 वकील प्रार्थी उप0। लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी उप0। वास्ते रिपोर्ट पत्रावली 2-3-2021 को पेश हो।

2-3-2021 वकील प्रार्थी व लैण्ड होल्डर उप0। रिपोर्ट प्राप्त होकर पत्रावली में संलग्न [illegible] सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि0 [illegible] को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:09:01 IST
Reason: Self Attested

16-3-2021 वकील प्रार्थी व लैण्ड होल्डर उप0। प्रा0पत्र 136 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रा0 फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

...राम... बीरबल जाति माली निवासी चक छावा तहसील गंगापुर सिटी

—प्रार्थी

बनाम

...हो...ल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

...:—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वर्तमान जमाबंदी की खाता सं0 86 की भूमि ख0नं0 23 रकबा 0.29 हेक्टर ग्राम चकछावा एवं खाता सं0 56 की भूमि ख0नं0 76 रकबा 0.74 हेक्टर ग्राम बाढ छावा नं0 2 तहसील गंगापुर सिटी की खातेदारी ...न में सपू पुत्र बीरबल जाति माली के नाम दर्ज हैं जबकि प्रार्थी का सही नाम रामरूप पुत्र बीरबल हैं। प्रार्थी का घर का बोलता नाम सपू हैं तथा सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड बगेहरा में प्रार्थी का सही नाम रामरूप दर्ज है। सहवन से रेवन्यु रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सपू दर्ज हो गया हैं, जिसके स्थान पर न्यायहित में रेवन्यु रिकार्ड में प्रार्थी के नाम की दुरूस्ती की जाकर प्रार्थी का नाम सपू के स्थान पर रामरूप दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को रेवन्यु रिकार्ड में प्रार्थी के अशुद्ध नाम सपू की पूर्व में कोई जानकारी नही थी। परन्तु प्रार्थी को कृषि कार्य हेतु के0सी0सी0 बनवाने के लिये बैंक मैनेजर से मिले तो मैनेजर ने बताया कि पहले अपने नाम की दुरूस्ती अन्य. सरकारी कागजात के अनुसार रेवन्यु रिकार्ड में नाम दर्ज करवाओ उसके बाद के0सी0सी0 बनेगी, जिस पर प्रार्थी पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारे सरकारी रिकार्ड राशनकार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह वगेहरा में तुम्हारे नाम में तथा रेवन्यु रिकार्ड में तुम्हारे नाम में अंतर हैं। तुम्हारे सरकारी रिकार्ड में तुम्हारा नाम रामरूप दर्ज है। जबकि रेवन्यु रिकार्ड में तुम्हारा नाम सपू दर्ज है इसलिए पहले रेवन्यु रिकार्ड में तुम्हारे नाम की दुरूस्ती करवाओ, तभी तुम्हें के0सी0सी बनेगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फिया जाकर वर्तमान जमाबंदी खाता सं0 86 की भूमि ख0नं0 23 ग्राम चकछावा तहसील गंगापुर सिटी एवं खाता सं. 56 की भूमि ख0नं0 76 वाके ग्राम बाढछावा नं02 तहसील गंगापुर सिटी में काश्तकार के रूप में दर्ज सपू पुत्र बीरबल के स्थान पर रामरूप पुत्र बीरबल दर्ज करने के आदेश दिये जावें तथा इसी अनुसार रेवन्यु रिकार्ड में संशोधन हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2071—74 खाता संख्या 86 ग्राम चकछाबा, नकल जमाबंदी संवत 2070—73 खाता संख्या 56 ग्राम बाढ छाबा नम्बर 2, नकल जमाबंदी संवत 2051—2054 ग्राम चक छाबा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 16:00:01 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

पत्र सरपंच ग्राम पंचायत छाबा प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी से प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट मांगी गई।

अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि ग्राम चकछाबा व बाढछाबा नम्बर 2 मे खाता संख्या क्रमांक 86 व 56 है। प्रार्थी का नाम सपू पुत्र बीरबल जाति माली सा.देह रिकार्ड मे दर्ज है जो प्रार्थी का घर का नाम है। सरकारी दस्तोवजो मे प्रार्थी का सही नाम रामरूप पुत्री बीरबल है। ग्रामीणों से जानकारी करने पर उन्होने ने भी प्रार्थी का सही नाम रामरूप पुत्र बीरबल बताया है।

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी को सुना गया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोकॉपी आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड मे प्रार्थी का नाम रामरूप एवं पिता का नाम बीरबल दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत छाबा ने अपने प्रमाण पत्र मे प्रार्थी का नाम रामरूप पुत्र बीरबल होना बताया है। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के साथ पटवारी हल्का महुकलॉ की ओर से दिनांक 23.2.2021 को बनाये गये फर्द मौका के अनुसार भी प्रार्थी का नाम रामरूप पुत्र बीरबल बताया गया है। इन सभी दस्तोवजो के आधार पर प्रार्थी का सही नाम रामरूप पुत्र बीरबल होना पाया गया है। अतः जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 86 ग्राम चकछाबा एवं जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 56 ग्राम बाढछाबा नम्बर 2 मे दर्ज नाम सपू के स्थान पर रामरूप दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 86 ग्राम चकछाबा एवं जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 56 ग्राम बाढछाबा नम्बर 2 में दर्ज प्रविष्टि "सपू पुत्र बीरबल हिस्सा 1/2" के स्थान पर प्रविष्टि "रामरूप पुत्र बीरबल हिस्सा 1/2" दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इन खातों में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.3.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:09:01 IST
Reason: Self-Attested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)